

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची।

पत्र सं०:-वि०प्रा०/यो०-57/11

/राँची, दिनांक:-

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, राँची (JCSTI) के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों के निमित्त होनेवाले अनुमानित व्यय हेतु कुल ₹0 10,00,00,000/- (₹0 दस करोड़) मात्र सहायक अनुदान की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक 257/बजट दिनांक 21.03.2024 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 46/योजना दिनांक 28.03.2025 के आलोक में राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, राँची के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित व्यय की राशि ₹0 10,00,00,000/- (₹0 दस करोड़) मात्र झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, राँची (JCSTI) के पक्ष में सहायक अनुदान की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

02. राशि की निकासी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघुशीर्ष-004-अनुसंधान/उपशीर्ष-41-झारखंड कौंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राँची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई में उपबंधित राशि ₹0 10,00,00,000/- (₹0 दस करोड़) के अधीन विकलनीय होगा।

(विपत्र कोड- **43S22030000441010679**)

03. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय होंगे। राशि निकासी के पश्चात् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक मुश्त राशि झारखंड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, राँची के पी०एल० खाता हेतु शीर्ष 8448 में आवश्यक औपचारिकताएँ पूरा करते हुए जमा करायेंगे।

04. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।

05. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्रांक 2561 दि० 17.04.98 में निहित दिशानिर्देश एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के आलोक में की जाएगी। इसके साथ ही कार्यपालक निदेशक JCSTI में निरूपित नियमों के आलोक में ही राशि की निकासी एवं व्ययन सुनिश्चित करेंगे। JCSTI के अन्तर्गत जिन चालू कार्य योजनाओं के लिए विगत वर्ष राशि विमुक्त की गई है, उक्त योजनाओं का समुचित उपयोगिता प्रतिवेदन से पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद ही संबंधित संस्थाओं को वर्तमान स्वीकृत राशि आवश्यकतानुसार विमुक्त योग्य होगी।

06. झारखंड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प सं० 118 दिनांक 12.01.2007 में वित्तीय प्रबंधन के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन JCSTI के कार्यपालक निदेशक सुनिश्चित करेंगे।

07. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक COBT के अनुरूप एवं JCSTI के निरूपित नियमों को पूर्णतः पालन करते हुए स्वीकृत राशि नियमानुसार व्यय की जायेगी।
08. यह राशि State Scheme Code-0146 से संबंधित है।
09. स्वीकृत राशि के विरुद्ध हुए व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र JCSTI के कार्यपालक निदेशक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय की यह जिम्मेवारी है कि Online माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
10. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्तन नहीं किया जाय, इसके लिए JCSTI के कार्यपालक निदेशक जिम्मेवार होंगे।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।
12. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।
13. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
14. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार राज्य सरकार एवं महालेखाकार झारखण्ड राँची का होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- वि0प्रा0/यो0-57/11

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- वि0प्रा0/यो0-57/11 - 31/वजह

/राँची, दिनांक:- 28/03/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/बजट पदाधिकारी/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव